

एम.एस. एस्कॉर्ट्स लिमिटेड

बनाम

आयुक्त केंद्रीय उत्पाद, दिल्ली

25 अगस्त, 2004

न्यायाधिपति एस. एन. वरियावा और न्यायाधिपति जी. पी. माथुर

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944- नियम 57 सी-उत्पाद शुल्क-अंतिम उत्पाद-निवेश पर एम. ओ. डी. वी. ए. टी. क्रेडिट के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश-निर्धारिती को पात्रता निर्मित ट्रैक्टर और पुर्जों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर शुल्क का भुगतान-इन पुर्जों को अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. डी. टी. 2-4-1986 के आधार पर शुल्क का भुगतान किए बिना निर्धारिती के दूसरे कारखाने में भेज दिया गया था। इन पुर्जों का उपयोग ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए किया जाता था जिन पर शुल्क का भुगतान किया जाता था-आबकारी विभाग ने इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क पर मोडवेट क्रेडिट से इनकार कर दिया-मान्यता: अंतिम उत्पाद ट्रैक्टर है जबकि पुर्जे मध्यवर्ती उत्पाद हैं-इसलिए पुर्जे अंतिम उत्पाद नहीं हैं-इसलिए, ऐसे मामलों में नियम 57 सी का कोई उपयोग नहीं है-केवल यह तथ्य कि पुर्जों को एक कारखाने से

दूसरे कारखाने में हटा दिया गया था। निर्धारिती एमओडीवीएटी क्रेडिट का दावा करने से वंचित नहीं किया जाएगा। उक्त अधिसूचना का लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता है।

अपीलार्थी-निर्धारिती ट्रेक्टरों का निर्माता था और पुर्जों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर शुल्क का भुगतान करता था। इन भागों को फिर बिना भुगतान किए अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2-4-1986 के आधार पर अपीलार्थी के दूसरे कारखाने में भेज दिया गया। पुर्जों का उपयोग तब ट्रेक्टर बनाने के लिए किया जाता था जिस पर शुल्क का भुगतान किया जाता था।

प्रत्यर्थी ने इस आधार पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया कि एमओडीवीएटी क्रेडिट अंतिम माल के रूप में स्वीकार नहीं था यानी पुर्जों के रूप में स्वीकार्य नहीं था और शुल्क का भुगतान किए बिना उन्हें मुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने दावा किया कि अंतिम उत्पाद पुर्जे नहीं बल्कि ट्रेक्टर थे। अपीलार्थी ने आगे दावा किया कि ट्रेक्टर पर शुल्क का भुगतान किया जा रहा था और इसलिए उक्त अधिसूचना के तहत एमओडीवीएटी क्रेडिट उपलब्ध था। द सेंट्रल आबकारी और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया। इसलिए अपीलें की जाती हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि-

1. अधिसूचना संख्या 217 ध्86-सी. ई. दिनांक 2-4-1986 से पता चलता है कि निवेश का उपयोग उत्पादन के कारखाने के भीतर या उसी निर्माता के किसी अन्य कारखाने में किया जा सकता है। इस प्रकार केवल इसलिए कि पूर्जे हैं अपीलार्थी के एक कारखाने से दूसरे कारखाने में भेजे जाने से पुर्जे अंतिम उत्पाद नहीं बन जाते हैं। 890-बी 891-जी

2. केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 डी (2) से पता चलता है कि अंतिम उत्पाद के निर्माण में एक मध्यवर्ती उत्पाद भी असत्त्व में आ सकता है। इस प्रकार ऐसे मामलों में जहां एक मध्यवर्ती उत्पाद अस्तित्व में आता है, भले ही मध्यवर्ती पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया गया हो। चूंकि उत्पाद को पूरे शुल्क से छूट दी गई है या शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभार्य है, इसलिए क्रेडिट की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान किया जाता है। 892-सी-डी

3.1 . अपीलार्थी जैसे निर्माताओं के मामलों में अंतिम उत्पाद ट्रेक्टर होता है। मध्यवर्ती उत्पाद ऐसे भाग होंगे जो ट्रेक्टर में उपयोग के लिए निर्मित हैं। ऐसे मामले में पुर्जे अंतिम उत्पाद नहीं होंगे। इस प्रकार नियम 57 सी का कोई उपयोग नहीं होगा।केवल यह तथ्य कि भागों को अपीलार्थी के एक कारखाने से अपीलार्थी के दूसरे कारखाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अपीलार्थी को अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2-4-1986 के लाभ का दावा करने से वंचित नहीं करेगा। 892-डी-ई

कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बनाम हिन्दुस्तान सेनेटरीवेयर एंड इंडस्ट्रीज, (2002) 145 ई. एल. टी. 3 एस. सी. ने इस पर भरोसा किया।

3.2 . अपीलार्थी पुर्जों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले आदानों के लिए भुगतान किए गए शुल्कों पर एमओडीवीएटी क्रेडिट का हकदार होगा, जब तक कि पुर्जों का उपयोग ट्रेक्टरों के निर्माण में किया जाता है । हालांकि, खुले बाजार में बेचे जाने वाले पुर्जों के संबंध में और जिन पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। अधिसूचना संख्या 217/86-सीई दिनांक 2-4-1986 का लाभ उपलब्ध नहीं हो सकता है। 893 - एबी

सिविल अपीलार्थी न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं 6909-6912, 2003

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 17.3.2003 दिनांकित निर्णय और आदेश से (नियंत्रण) अपीलार्थी न्यायाधिकरण, नई दिल्ली और ए. नं. में स्वर्ण ई/206,1648 49/95-एन. बी. और ई/244/96-एफ. ओ. सं. में एन. बी. 2003 का ए/142-145-एनबी (सी)।

अपीलार्थी की ओर से वी. लक्ष्मीकुमारन, आलोक यादव और राजेश कुमार।

प्रतिवादी के लिए टी. एल. वी. अय्यर, संजीव सेन, पी. परमेश्वरन और बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति एस. एन. वरियावा:

ये अपीलें, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में सी. ई. जी. ए. टी.) द्वारा 17 मार्च, 2003 में पारित किए गए निर्णय के खिलाफ हैं।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलार्थी ट्रैक्टरों के निर्माता हैं। पुर्जों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले निवेश पर भुगतान किए गए शुल्कों के संबंध में मोडवैट क्रेडिट देते हैं। इसके बाद भागों को शुल्क का भुगतान किए बिना, अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2 अप्रैल 1986 के आधार पर, अपीलार्थियों के दूसरे कारखाने में भेज दिया गया। पुर्जों का उपयोग तब ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए किया जाता था जिस पर शुल्क लगाया जाता था।

प्रत्यर्थी ने इस आधार पर कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया कि एमओडीवीएटी क्रेडिट अंतिम माल के रूप में स्वीकार्य नहीं था, अर्थात् पुर्जों के शुल्क का भुगतान किए बिना अदा किया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि अंतिम उत्पाद पुर्जे नहीं बल्कि ट्रैक्टर थे। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि ट्रैक्टर पर शुल्क का भुगतान किया जा रहा था और इसलिए, एम. ओ. डी. वी. ए. टी. क्रेडिट अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के तहत उपलब्ध था।

अपीलार्थियों द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया।
इसलिए अपीलकर्ताओं ने सी. ई. जी. ए. टी. के समक्ष अपील दायर की।

सी. ई. जी. ए. टी. के फैसले में कहा गया है कि चूंकि पुर्जों को कारखाने से हटा दिया जाता है जहाँ उन्हें अपीलार्थियों के किसी अन्य कारखाने में निर्मित किया जाता है जो एक अलग परिसर में स्थित है और इसके तहत अलग से केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत पंजीकृत है। सीईजीएटी ने आयोजित किया है कि चूंकि पुर्जों पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए मोडवैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था।

इस स्तर पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के संबंधित नियम और अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2 अप्रैल 1986 का प्रासंगिक भाग, देखा जा सकता है। नियम 57 ए, 57 सी और 57 डी इस प्रकार हैं:

“ 57 ए. उपयुक्तता- (1) इस धारा के प्रावधान इस तरह के तैयार उत्पाद इसके बाद के रूप में संदर्भित “अंतिम उत्पाद”, जैसा कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट करने पर लागु होंगे जो उत्पाद शुल्क के किसी भी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के क्रेडिट की अनुमति सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 में अभिनिर्धारित हो या उसके संबंध में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर भुगतान की गई उक्त अधिसूचना (इसके बाद विशेष शुल्क के रूप में

संदर्भित) में निर्दिष्ट किया जाए उक्त अंतिम उत्पादों का निर्माण (इसके बाद निवेश के रूप में संदर्भित) और अंतिम उत्पादों पर देय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए इस प्रकार अनुमत क्रेडिट का उपयोग करने के लिए, चाहे वह अधिनियम के तहत हो या किसी अन्य अधिनियम के तहत, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है। उक्त अधिसूचना में, इस धारा के प्रावधानों और शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं अधिसूचना: बशर्ते कि केंद्र सरकार माल या माल के ऐसे वर्गको निर्दिष्ट कर सकती है जिनके संबंध में निर्दिष्ट शुल्क का क्रेडिट प्रतिबंधित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण। - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, निवेश में शामिल हैं-

(क) निवेश जो कारखानों के भीतर निर्मित और उपयोग किए जाते हैं या अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उनके संबंध में उत्पादन।

(ख) पेंट और पैकेजिंग सामग्री।

(ग) ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले निवेश, लेकिन शामिल नहीं है।

यदि अंतिम उत्पाद छूट प्राप्त हो तो शुल्क जमा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि अंतिम उत्पाद को छूट दी गई हो तो अंतिम उत्पाद के निर्णय में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए निर्दिष्ट शुल्क का कोई क्रेडिट नहीं किया जाएगा "या तो मुक्त व्यापार क्षेत्र में किसी इकाई को

या 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाई की मंजूरी दे दी गई है।" वहां भगाए जाने वाले सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है।

57 डी. क्रेडिट शुल्क को कुछ परिस्थितियों में अस्वीकार या परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। (1) इस संबंध में अनुमत निर्दिष्ट शुल्क का क्रेडिट किसी भी निवेश को इस आधार पर अस्वीकार या परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि निवेश का हिस्सा किसी भी अपशिष्ट, उप-उत्पाद में निहित है। अंतिम उत्पाद के निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाला, या यह कि अंतिम उत्पाद के निर्माण में या उसके संबंध में निवेश व्यर्थ हो गए हैं, चाहे वह अपशिष्ट, अपशिष्ट या उप-उत्पाद हो या नहीं। उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभार्य है या नियम 57 ए के तहत अंतिम उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं है।

(2) किसी भी निवेश के संबंध में अनुमत निर्दिष्ट शुल्क के क्रेडिट को इस आधार पर अस्वीकार या परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि कोई भी मध्यवर्ती उत्पाद अंतिम उत्पाद के निर्माण के दौरान अस्तित्व में आए हैं और ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों को उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से कुछ समय के लिए छूट दी गई है या शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य हैं:

बशर्ते कि ऐसे मध्यवर्ती उत्पाद हैं

(क) एक अंतिम उत्पाद के निर्माण में उत्पादन के कारखाने के भीतर उपयोग किया जाता है (एक मुक्त व्यापार क्षेत्र या 100 प्रतिशत लिए मंजूरी के अलावा। निर्यात-उन्मुख इकाई) ने जिस पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह या आंशिक रूप से लगाया जाता है और

(ख) नियम 57 ए के तहत जारी अधिसूचना के तहत निवेश के रूप में या अंतिम उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट।

अधिसूचना सं. 217/86-सी. ई. दिनांक 2 अप्रैल 1986 के कुछ हिस्से में निम्नलिखित विज्ञापन दिए गए हैं:

इनपुट: बंदी उपभोग को छूट दी गई है।

217/86 - सीई, दिनांक 2.4.1986 , 12/87 सी. ई. द्वारा संशोधित, डी. टी. 23.1.1987 (W.E.F. 10.2.1987), 82/87- CE, दिनांक 1.3.1987, 204/87 - सीई, दिनांक 9.9.1987 (W.E.F. 1.10.1987), 97/89-सी. ई., दिनांक 1.3.1989, 146/90 सीई, दिनांक 17.9.1990, 79/91 - सीई, दिनांक 25.7.1991, 33 /92 - सीई, दिनांक 1.3.1992 के नियम 8 के उप-नियम (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, केंद्र सरकार एतद्द्वारा तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट देती है। (इसके बाद निवेशके रूप में संदर्भित) कारखाना में उत्पादन या कारखाने के भीतर या किसी अन्य में उपयोग किया जाता है। एक ही निर्माता का कारखाना, उक्त कॉलम (3) में निर्दिष्ट अंतिम

उत्पादों के निर्माण में या उनके संबंध में तालिका, उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। (5/1986):

बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कुछ भी अंतिम उत्पादों के निर्माण में या उनके संबंध में उपयोग किए जाने वाले निवेशों पर लागू नहीं होगा (उन निवेशों के अलावा जो या तो मुक्त व्यापार क्षेत्र में किसी इकाई के लिए स्वीकृत किए गए हैं या एक 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई) को, जो उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से मुक्त हैं या शुल्क की शून्य दर से प्रभार्य हैं:

बशर्ते कि जहां निवेश का ऐसा उपयोग किसी कारखाने में किया जाता है। एक निर्माता, अपने कारखाने से अलग है जहां माल का उत्पादन किया गया है, इस अधिसूचना में निहित छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया के पालन के अधीन अनुमेय होगा।

तालिका

क्रम	इनपुट का विवरण	अंतिम उत्पादों का विवरण
	शीर्षक के अन्तगत वर्गीकृत माल अध्याय 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17,	शीर्षक के अन्तगत वर्गीकृत माल अध्याय 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

<p>18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,91,92, 93, 94, 95 व 96</p> <p>केंद्रिय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985; 1986 का 6) की अनुसूची के शीर्षक संख्या 36.06 या 37.06 के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर</p>	<p>19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 व 96</p> <p>केंद्रिय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985; 1986 का 6) की अनुसूची के शीर्षक संख्या 36.06, 37.06, 54.08., 54.09, 54.10, 54.11, 54.12, 55.04, 55.05, 55.06, 55.07, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 या 55.12 के अंतर्गत आने वालों को छोड़कर</p>
--	---

यह प्रत्यर्थी का तर्क है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है कि सी. ई. जी. ए. टी. के द्वारा नियम 57 सी लागू हो जाएगा क्योंकि पुर्जों को शुल्क का भुगतान किए बिना एक कारखाने से दूसरे कारखाने में भेजा जाता है। हमारे विचार में, इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिसूचना के रेखांकित हिस्से, जो यहाँ ऊपर दिए गए हैं, से पता चलता है कि निवेश का उपयोग उत्पादन के कारखाने के भीतर या उसी निर्माता के किसी अन्य कारखाने में किया जा सकता है। इस प्रकार केवल इसलिए कि पुर्जों को अपीलकर्ताओं के एक कारखाने से दूसरे कारखाने में हटा दिया जाता है, पुर्जों को अंतिम उत्पाद नहीं बनाता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि शुल्क भुगतान किए गए आदानों से निर्मित पुर्जों का उपयोग ट्रैक्टरों के निर्माण में किया जाता है और ट्रैक्टरों पर शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मीकुमारन ने बड़ी निष्पक्षता से स्वीकार किया की ऐसे मामलों में जहां पुर्जों को खूले बाजार में मंजूरी नहीं दी जाती है या ऐसे मामलों में जहां पूर्जों का उपयोग छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिए किया जाता है जिसपर कोई शुल्क नहीं दिया जाता है के उपर अपीलकर्ताओं ने मोडवेट क्रेडिट के लिए कोई दावा नहीं अभी किया है और ना ही पहले किया है। उनका कहना है कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है ऐसे मामलों के संबंध में अलग-अलग रजिस्टर बनाए गए हैं।

यह देखा जाना चाहिए कि अधिसूचना और नियमों का पूरा उद्देश्य शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और यदि निवेश और तैयार माल दोनों पर शुल्क लगाया जाता है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। नियम 57 डी (2), जिसे यहाँ ऊपर निकाला गया है, यह दर्शाता है कि अंतिम उत्पाद के निर्माण में एक मध्यवर्ती उत्पाद भी अस्तित्व में आ सकता है। इस प्रकार ऐसे मामलों में जहां मध्यवर्ती उत्पाद अस्तित्व में आता है, भले ही मध्यवर्ती उत्पाद पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इसे पूरे शुल्क से छूट दी गई है या शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभार्य है, फिर भी क्रेडिट की अनुमति तब तक दी जाएगी जब तक कि अंतिम उत्पाद पर शुल्क का भुगतान किया जाता है।

अपीलकर्ताओं जैसे निर्माताओं के मामलों में अंतिम उत्पाद ट्रेक्टर है -मध्यवर्ती उत्पाद ऐसे पुर्जे होंगे जो ट्रेक्टर में उपयोग किए जाने के लिए निर्मित किए जाते हैं। ऐसे मामले में पुर्जे अंतिम उत्पाद नहीं होंगे। इस प्रकार नियम 57 सी का कोई उपयोग नहीं होगा। केवल यह तथ्य कि भागों को अपीलार्थियों के एक कारखाने से अपीलार्थियों के दूसरे कारखाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है, अपीलार्थियों को अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के लाभ का दावा करने से अपीलार्थियों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अधिसूचना स्वयं स्पष्ट करती है कि निवेश का उपयोग कारखाने के

भीतर या उसी के किसी अन्य कारखाने में निर्मित उत्पाद में किया जाता है।

श्री लक्ष्मीकुमारन ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, नई दिल्ली बनाम हिन्दुस्तान सेनेटरीवेयर एंड इंडस्ट्रीज (2002) 145 ई. एल. टी. 3 एस. सी. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। जिसमें इस अधिसूचना के संबंध में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंतिम उत्पाद, केवल यह तथ्य कि मध्यवर्ती उत्पाद पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, निर्माता को 2 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. के लाभ से वंचित नहीं करेगा। उस मामले में, इनपुट प्लास्टर ऑफ पेरिस में, मध्यवर्ती उत्पाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने सांचे थे, अंतिम उत्पाद सैनिटरी वेयर था। हमारे विचार में, इस मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के समान हैं। उसमें निर्धारित अनुपात इस मामले में पूरी तरह से लागू होता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर देते हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलकर्ता पुर्जों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले निवेश के लिए भुगतान किए गए शुल्कों पर एमओडीवीएटी क्रेडिट के हकदार होंगे, जब तक कि पुर्जे ट्रेक्टरों के निर्माण में उपयोग किया जाता है जिस पर शुल्क का भुगतान किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि उन पुर्जों के संबंध में जो खुले बाजार में बेचे जाते हैं

और जिनके लिए उपयोग किए जाते हैं। ट्रैक्टरों का निर्माण जिन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, का लाभ अधिसूचना संख्या 217/86-सी. ई. दिनांक 2 अप्रैल, 1986 उपलब्ध नहीं हो सकती है।

इस प्रकार अपीलों की अनुमति है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी महेन्द्र सोलंकी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।